

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/1186/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020

बलौदाबाजार, दिनांक 31/05/2020

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, दिनांक 31 मई, 2020 तक लॉक-डाउन घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/286/स.सा.प्र.वि./2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30.05.2020 की कण्डिका 15 अनुसार शादी के आयोजन हेतु अनुमति (अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की शर्त पर) एवं अंतिम संस्कार की अनुमति (अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की शर्त पर) प्रदान किये जाने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार को अधीकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (C.G.)
बलौदाबाजार, दिनांक 31/05/2020

पृ.क्रमांक/1187/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020
प्रतिलिपि:-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ।
06. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. सर्व तहसीलदार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।



अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (C.G.)